

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन/फैक्स:-0135-2741607, 2742641
ई-मेल:-ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

देहरादून: दिनांक: 18 अक्टूबर, 2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में देहरादून मालसी मिनी जू के अन्तर्गत काला भालू हेतु नाईट शैल्टर का निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में वन विभाग के अनुदान सं0-27 की राज्य सैक्टर योजना "4406-02-111-02-00-मालसी मिनी जू का विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :- शासनादेश सं0 1911/X-2-2021-12(25)/2018 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. S21100270002 दिनांक 05.10.2021 से देहरादून मालसी मिनी जू के अन्तर्गत काला भालू हेतु नाईट शैल्टर का अवशेष निर्माण कार्य हेतु वन विभाग के अनुदान सं0-27 की राज्य सैक्टर योजना "4406-02-111-02-00-मालसी मिनी जू का विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त धनराशि ₹5.17लाख (₹दस लाख चौतीस हजार मात्र) का विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के उपरान्त IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी-प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को ऑन लाइन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ बजट का आवंटन करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है:-

1-समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2-कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-245/XXVII(7)/2012 दिनांक 22.11.2012 के अनुसार सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। बिना प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3-कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

4-अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5-कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

6-कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7-निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

8-आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9-स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व शासन की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

10-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047//XIV-2019(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

11-आवंटित धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 तक कर लिया जाए तथा उक्त तिथि को अवशेष धनराशि राज्य सरकार को समर्पित कर दी जाय।

12-आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार



भवदीय,



(जीवन चन्द्र जोशी)

वित्त नियंत्रक


संख्या: नि0-1350 (1)/3-5 3-5 (मालसी जू) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड एवं को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।
- 7- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- प्रमुख वन संरक्षक(वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
- 9- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 10- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 11- उप वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0 कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार




(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)
HOD-Principal Chief Conservator of
Forest(4260)

Treasury-Dehradun(0100)

DDO-DFO Dehradun Forest DivisionDehradun(4257)

आवंटन पत्र संख्या -Ni- 1350 /3-5

आवंटन आई डी-H21100270008

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-18-OCT-2021

लेखा शीर्षक

4406-वानिकी और वन्य जीवन पर
पूंजीगत परिव्यय
111-चिडिया घर

02-Environmental Forestry and
wild Life

02-मालसी मिनी जू का विस्तारीकरण एवं
सुदृढीकरण (4406-01-800-12 से
स्थानान्तरित)

00-0

Voted

4	4	0	6	0	2	1	1	1	0	2	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय		योग				
53-वृहद निर्माण				0	517000	0		517000				
योग				0	517000	0		517000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.5,17,000 (Rupees Five Lacs Seventeen Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2110:0008

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
वन विभाग
कार्यालय

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड
देहरादून